GCMS No:-2024/265

फर्द–अहकाम
(नियम–26)

अज अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुकाम नागौर

प्रार्थी — बनाम — **अप्रार्थीगण**

प्रार्थी

अडानी हाउसिंग फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड प्लॉट नम्बर 47, महादेव टॉवर, न्यू कोहिनूर सिनेमा के सामने प्रतापनगर, जोधपुर जरिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता मोहित सिंह राठौड़

बनाम

अप्रार्थीगण

1. श्री शीशपाल राम पुत्र श्री पांचा राम, पता– बासनी सैजा, मेड़ता, नागौर 342902
2. श्रीमति मैना देवी पत्नी पांचा राम, पता–वार्ड नं. 6, ग्राम पोस्ट–बासनी सैजा, गोटन, मेड़ता, नागौर 342902
3. श्री रामावतार खदाव पुत्र भंवरू राम, पता– जाटो का बास, मेड़ता, लुनीयास, अरबगॉव, नागौर 341031, द्वितीय पता– खसरा नं. 882, गॉव–लाम्बा जातन, तहसील–मेड़ता सिटी, जिला– नागौर 341510

किस्म मुकदमा –सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002, प्रार्थना पत्र संख्या 218 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
11.11.2024	प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत बंधक संम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस सहायता उपलब्ध करवाने बाबत प्रस्तुत किया है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में आवासीय ऋण सुविधा दिनांक 27.09.2024 को उपलब्ध करवायी जाने का कथन किया हैं तथा ओडी ऋण सुविधा के एवज में ग्राम लाम्बाजाटान के खसरा नम्बर 882 रकबा 0.6400 है0 को बंधक रखने का कथन किया हैं। आवेदन–पत्र के संलग्न दस्तावेजों में बेचाननामा खातेदारी हक दिनांक 19.02.2014 पेश किया हैं,जिसमें श्रीमती मैनादेवी पत्नी श्री पांचाराम द्वारा मौजा लाम्बाजाटान के खसरा नम्बर 882 रकबा 0.64 है0 कृषि भूमि श्रीमती किरणदेवी पत्नी श्री रामकिशोर से कय की गई हैं। इस प्रकार प्रार्थी कम्पनी कृषि भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस इमदाद ओडी ऋण की आड़ में प्राप्त करना चाहता हैं,जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के तहत प्राप्त नहीं कर सकता हैं। इसलिए आवेदन–पत्र प्रार्थी का खारिज योग्य हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी का खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार हो। (अरूण कुमार पुरोहित) **जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट,** **नागौर**	